संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा

"विजयाराजे वात्सल्य भवन", 28-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश-462011
दूरभाष : 0755-2550909, 2550910 फेक्स : 0755-2550912
ई-मेल : commwcd@mp.nic.in वेबसाईड : www.mpwcd.nic.in, www.mpwcdmis.org

क्र/आईसीडीएस/......2094....../ भोपाल, दिनांक....25/10/2012....

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-समस्त (म.प्र.)

विषयः- ICDS परियोजनाओं की निगरानी एवं पर्यवेक्षण भ्रमण के लिए संशोधित दिशा निर्देश।

संदर्भः- संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग का पत्र क्रमांक मबावि/मूल्यांकन/10-11/13504 दिनांक 31.12.2010

संदर्भित पत्र द्वारा आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के नियमित पर्यवेक्षण संबंधी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार पूरक निर्देश जारी किये जाते हैं-

अधिकारियों की श्रेणी	निर्धारित उत्तरदायित्व
पर्यवेक्षक	1- माह में कम से कम 12 दिन भ्रमण करना एवं शेष कार्यदिवसों में एकीकृत बाल विकास परियोजना के कार्यालय में उपस्थित रहकर अन्य प्रशासकीय/विभागीय दायित्वों का निर्वाहन करना। 2- मंगलवार एवं शुक्रवार को अनिवार्यतः भ्रमण करना। 3- दो माह में सेक्टर के अंतर्गत सभी आंगनवाडी केन्द्रों का कम से कम एक बार भ्रमण करना। 4- क्षेत्र भ्रमण के दौरान माह में आयोजित सभी ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों में उपस्थिति सुनिश्चित करना। 5- सभी आंगनवाडी केन्द्रों के समय पर खुलने व बंद होने तथा बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना। 6- आंगनवाडी केन्द्र के रिकार्ड का सम्पूर्ण संधारण कराना। 7- आंगनवाडी केन्द्र के सभी बच्चों का वजन तथा ग्रोथ चार्ट का संधारण कराना। 8- अति कम वजन वाले बच्चों के परिवारों को गृह भेट देकर स्वास्थ्य एवं पोषण की समझाइश देना। 9- पोषण पुनर्वास केन्द्र से Discharge हुए बच्चों का चार फालोअप सुनिश्चित कराना। 10- कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के लिए जिला स्तरीय रणनीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।

25/10/2012

बाल विकास परियोजना अधिकारी	1. माह में कम से कम 12 दिन परियोजना का भ्रमण करना एवं शेष कार्यदिवसों में एकीकृत बाल विकास परियोजना के कार्यालय में उपस्थित रहकर अन्य प्रशासकीय/विभागीय दायित्वों का निर्वाहन करना होगा। 2. मंगलवार एवं शुक्रवार को भ्रमण अनिवार्य। 3. माह में कम से कम 12 आंगनवाडी केन्द्रों का भ्रमण सुनिश्चित करना। 4. प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को रोस्टर अनुसार ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों में उपस्थिति सुनिश्चित करना। 5. पर्यवेक्षकों को सौपें गए दायित्वों की पूर्ण मॉनीटरिंग करना। 6. अति कम वजन वाले बच्चों के परिवारों को गृह भेट देकर स्वास्थ्य एवं पोषण की समझाइश देना। 7. परियोजना में स्थित तथा परियोजना से संबद्ध पोषण पुनर्वास केन्द्रों का भ्रमण कर एन.आर.सी. से डिस्चार्ज किये गये बच्चों की सूची प्राप्त करके उनके चार फालोअप सुनिश्चित कराना। 8. कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के लिए जिला स्तरीय रणनीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।
जिला कार्यक्रम अधिकारी	1. माह में कम से कम 08 दिन जिले का भ्रमण करना एवं शेष कार्यदिवसों में जिला कार्यालय में उपस्थित रहकर अन्य प्रशासकीय/विभागीय दायित्वों का निर्वाहन करना। 2. प्रत्येक सप्ताह में दो दिवस (प्रति मंगलवार तथा शुक्रवार) को अनिवार्यतः भ्रमण करना। 3. प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को रोस्टर अनुसार ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों में उपस्थिति सुनिश्चित करना। 4. माह में कम से कम 01 परियोजना कार्यालय तथा पोषण आहार के गोदाम का निरीक्षण करना एवं इस परियोजना के पर्यवेक्षकों की बैठक करना। 5. जिले में पोषण पुनर्वास केन्द्रों का भ्रमण कर एन.आर.सी. से डिस्चार्ज किये गये बच्चों की सूची प्राप्त करके उनके चार फालोअप सुनिश्चित कराना। 6. कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के लिए जिला स्तरीय रणनीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।
संभागीय संयुक्त संचालक	1. माह में कम से कम 08 दिन जिलों का भ्रमण करना एवं शेष कार्यदिवसों में कार्यालय में उपस्थित रहकर अन्य प्रशासकीय/विभागीय दायित्वों का निर्वाहन करना। 2. माह में एक जिला कार्यालय का निरीक्षण एवं परियोजना अधिकारियों की बैठक करना। 3. दो माह में एक परियोजना कार्यालय का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षकों की बैठक करना। 4. माह में संभाग के कम से कम 08 आंगनवाड़ी केन्द्रों का भ्रमण अनिवार्य रूप से करना। 5. भ्रमण के दौरान संबंधित जिले के कलेक्टर से भेंट कर विभागीय गतिविधियों/वस्तुस्थिति से अवगत कराना। 6. एक वर्ष में सभी जिला कार्यालयों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करना।

	7. एक वर्ष में संभाग के सभी आंगनवाडी ट्रेनिंग सेंटर, शासकीय संस्थाओं एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं का निरीक्षण करना। 8. कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के लिए जिला स्तरीय रणनीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।

भ्रमण कार्यक्रमः- अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम तैयार कर प्रस्तुत किये जाने हेतु व्यवस्था होगी-

क्र	अधिकारी का नाम	अनुमोदनकर्ता अधिकारी	सूचनार्थ प्रति	नियत तिथि प्रति माह
1	पर्यवेक्षक	परियोजना अधिकारी	जिला कार्यक्रम अधिकारी	25 तारीख
2	परियोजना अधिकारी	जिला कार्यक्रम अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक	25 तारीख
3	जिला कार्यक्रम अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक	जिला कलेक्टर	25 तारीख
4	संभागीय संयुक्त संचालक	संभागीय आयुक्त	आयुक्त एकीकृत बाल विकास सेवा	25 तारीख

संचालनालय के संदर्भित पत्र के शेष निर्देश यथावत रहेंगे। आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम की मॉनीटरिंग का प्रमुख उद्देश्य औसत एवं कमजोर सेवाएँ प्रदान करने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों में सहयोगी पर्यवेक्षण (supportive supervision) के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्र की सेवाओं में सुधार लाना है अतः भ्रमण की योजना बनाते समय ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्रों का चयन करें जिनके सूचकांक कमजोर हों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वरिष्ट अधिकारियों के मार्गदर्शन की अधिक आवश्यकता हो। भ्रमण में दूरस्थ स्थित एवं कम शैक्षणिक योग्यता वाली कार्यकर्ताओं के आंगनवाड़ी केन्द्रों को वरीयता प्रदान करें।

आंगनवाड़ी केन्द्र के सुचारू संचालन का सम्पूर्ण दायित्व पर्यवेक्षक का है, यदि आंगनवाड़ी के संचालन में कोई समस्या है तो पर्यवेक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह परियोजना अधिकारी को लिखित में अवगत कराये। परियोजना अधिकारी यथाशीघ्र उस समस्या का निराकरण करेंगे एवं समस्या उच्च स्तर की होने पर 3 दिवस के अन्दर लिखित में जिला कार्यक्रम अधिकारी को अवगत कराऐंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी कलेक्टर की सहायता से अथवा संभागीय संयुक्त संचालक के माध्यम से समस्या का निराकरण करेंगे। संभागीय संयुक्त संचालक किसी भी समस्या के संबंध में तत्काल मुझे अवगत करायेंगे।

उपरोक्त व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही के पश्चात् यदि किसी आंगनवाड़ी केन्द्र के अनियमित एवं अव्यवस्थित संचालन की शिकायत प्राप्त होती है तो सीधे सेक्टर पर्यवेक्षक उत्तरदायी होगी। पर्यवेक्षक के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला

7/3 17/10/2012

कार्यक्रम अधिकारी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर संभागीय संयुक्त संचालक उत्तरदायी होंगे एवं अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण न रख पाने के कारण विभागीय कार्यवाही के पात्र होंगे।

पर्यवेक्षक को छोड़कर शेष अधिकारी माह में सम्पन्न किये गये सभी भ्रमणों का विवरण विभागीय वेबसाईट www.mpwcdmis.org में आगामी माह की 10 तारीख तक दर्ज कराना सुनिश्चित करें। सभी संबंधित अधिकारी एवं पर्यवेक्षक उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

25/10/2012

(डॉ. मनोहर अगनानी)
आयुक्त
एकीकृत बाल विकास सेवा
भोपाल, म.प्र.

पृष्ठांकन प्रतिलिपि क्रमांक/MIS/2012/ 2095 — भोपाल, दिनांक 25/10/2012.

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, महिला सशक्तिकरण संचालनालय, पर्यावास भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. आयुक्त, समस्त संभाग, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, संभाग समस्त, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला समस्त, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, समस्त, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. पर्यवेक्षक, सेक्टर समस्त, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

25/10/2012

आयुक्त
एकीकृत बाल विकास सेवा
भोपाल, म.प्र.